संख्या-04/2020/301/46-1-2020-1000(28)/2018

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती तथा महराजगंज।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 05 मार्च, 2020

विषयः- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1141 /12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 30-01-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.1032.00 लाख (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष 42 सम्पर्क मार्गों की संलग्नक-1 के स्तम्भ-5 में अंकित संशोधित लागत रू.1276.362 लाख एवं 01 नये सम्पर्क मार्ग (संलग्नक-2 के अनुसार) की लागत रु.13.63 लाख अर्थात कुल 43 सम्पर्क मार्गों की कुल लागत धनराशि रू.1289.992 लाख (रूपये बारह करोड़ नबासी लाख निन्यानबे दो सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-40/2019/1261/46-1-19-1000(28)/2018, दिनांक 30-09-2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि रू.516.00 लाख का संलग्नक-1 के कालम-7 के अनुसार समायोजन/पुर्नआवंटन करने के उपरान्त स्तम्भ-8 में 42 सम्पर्क मार्गों हेतु द्वतीय किश्त के रूप में रु.505.09 लाख एवं संलग्नक-2 में उल्लिखित 01 नये सम्पर्क मार्ग हेतु एक मुश्त धनराशि रू.10.904 लाख (संलग्नक-2 के स्तम्भ-8 के अनुसार) अर्थात कुल धनराशि रु.515.994 लाख (रूपये पॉच करोड़ पन्द्रह लाख निन्यानबे हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सैंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक के कालम-7 में अंकित सेंटेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अ नुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सडक निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-172/दस-2020, दिनांक 05 मार्च, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-04/2020/301(1)/46-1-2020-1000(28)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-04/2020/301(2)/46-1-2020-1000(28)/2018, दिनांक 05 मार्च, 2020 का संलग्नक-1

क्र.	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार			देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि ¼yk- :-½	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)
			लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सहारनपुर	माण्डला से मुसैल की ओर	0.514	13.396	10.717	5.421	5.296	1.175	0.607	0.568	9.542	4.814	4.728
2	सहारनपुर	दादनपुर से भारीझाल की ओर	0.750	20.439	16.351	8.038	8.313	1.792	0.900	0.892	14.559	7.138	7.421
3	सहारनपुर	गंगोह पी.डब्लू.डी. मार्ग से खानपुर की ओर	1.290	36.982	29.586	14.544	15.042	3.243	1.629	1.614	26.343	12.915	13.428
4	सहारनपुर	रणदेवा से वाया नल्हेडा नकुड अम्बेहटा मार्ग की ओर	0.900	25.627	20.502	10.079	10.423	2.247	1.128	1.119	18.255	8.951	9.304
5	सहारनपुर	गागलहेडी कैलाशपुर मार्ग से उग्राहु	0.800	21.718	17.374	8.541	8.833	1.905	0.957	0.948	15.469	7.584	7.885
		जनपद का योग	**4.254**	**118.162**	**94.530**	**46.623**	**47.907**	**10.362**	**5.221**	**5.141**	**84.168**	**41.402**	**42.766**
6	मु0 नगर	नावला से खेड़ी तगान का अवशेष भाग	0.535	15.180	12.144	5.970	6.174	1.331	0.669	0.662	10.813	5.301	5.512
7	मु0 नगर	मिल रोड से बसी मार्ग	0.990	28.550	22.840	11.228	11.612	2.504	1.257	1.247	20.336	9.971	10.365
		जनपद का योग	**1.525**	**43.730**	**34.984**	**17.198**	**17.786**	**3.835**	**1.926**	**1.909**	**31.149**	**15.272**	**15.877**
8	शामली	मादलपुर से नौजली रजवाहे की पटरी मार्ग	1.450	42.653	34.122	16.079	18.043	3.741	1.801	1.940	30.381	14.278	16.103
9	शामली	मोर माजरा चैराहे से ग्राम तितारसी मार्ग का अवशेष भाग	1.010	29.044	23.235	10.095	13.140	2.547	1.130	1.417	20.688	8.965	11.723
10	शामली	बझेडी से गागोर की ओर पक्की सडक तक	0.860	30.121	24.097	11.934	12.163	2.642	1.337	1.305	21.455	10.597	10.858
		जनपद का योग	**3.320**	**101.818**	**81.454**	**38.108**	**43.346**	**8.930**	**4.268**	**4.662**	**72.524**	**33.840**	**38.684**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	मेरठ	खेडी से मवीमीरा मार्ग प्र. भाग	1.410	44.160	35.328	17.367	17.961	3.873	1.945	1.928	31.455	15.422	16.033
12	मेरठ	कोहला नहर पटरी से ग्राम भन्डौरा मार्ग प्रथम भाग	0.740	22.990	18.392	9.042	9.350	2.016	1.012	1.004	16.376	8.030	8.346
		जनपद का योग	**2.150**	**67.150**	**53.720**	**26.409**	**27.311**	**5.889**	**2.957**	**2.932**	**47.831**	**23.452**	**24.379**
13	हापुड़	ढाना रोड माइनर की पुलिया से फुलडेहरा मार्ग	0.410	13.796	11.037	4.722	6.315	1.210	0.529	0.681	9.827	4.193	5.634
		जनपद का योग	**0.410**	**13.796**	**11.037**	**4.722**	**6.315**	**1.210**	**0.529**	**0.681**	**9.827**	**4.193**	**5.634**
14	बिजनौर	बुडेरन मिर्जालीपुर मार्ग (रामनगर टांडा तक)	1.300	41.733	33.386	16.876	16.510	3.660	1.890	1.770	29.726	14.986	14.740
15	बिजनौर	न्यामताबाद से बुढ़नपुर मार्ग	1.760	54.353	43.482	15.414	28.068	4.767	1.726	3.041	38.715	13.688	25.027
16	बिजनौर	एन.एच.-74 से भागी जोत-प्रथम भाग	0.775	22.417	17.934	9.960	7.974	1.966	1.116	0.850	15.968	8.844	7.124
17	बिजनौर	करीमपुर से सिकन्दरपुर	0.525	14.917	11.934	6.341	5.593	1.308	0.710	0.598	10.626	5.631	4.995
18	बिजनौर	हीमपुर से पाहु ली	0.848	25.732	20.586	11.063	9.523	2.257	1.239	1.018	18.329	9.824	8.505
		जनपद का योग	**5.208**	**159.152**	**127.322**	**59.654**	**67.668**	**13.958**	**6.681**	**7.277**	**113.364**	**52.973**	**60.391**
19	अमरोहा	सैदपुर इम्मा से ईदगाह बहादुरपुर मार्ग	2.000	66.606	53.285	25.199	28.086	5.841	2.822	3.019	47.444	22.377	25.067
20	अमरोहा	नौगवाॅ धनौरा रोड से खण्डसाल कलां मार्ग	0.800	26.673	21.338	10.705	10.633	2.339	1.199	1.140	18.999	9.506	9.493
		जनपद का योग	**2.800**	**93.279**	**74.623**	**35.904**	**38.719**	**8.180**	**4.021**	**4.159**	**66.443**	**31.883**	**34.560**
21	मुरादाबाद	ग्राम अकबरपुर चैदरी में जाटवों की धर्मशाला से मल्लीवाला मन्दिर तक	1.150	31.828	25.462	12.516	12.946	2.791	1.401	1.390	22.671	11.115	11.556
		जनपद का योग	**1.150**	**31.828**	**25.462**	**12.516**	**12.946**	**2.791**	**1.401**	**1.390**	**22.671**	**11.115**	**11.556**
22	बरेली	शीशगढ़ मार्ग से बिल्सा सम्पर्क मार्ग	1.000	25.852	20.682	13.773	6.909	2.267	1.542	0.725	18.415	12.231	6.184
23	बरेली	एन एच 24 राजश्री मेडिकल कालेज से सतुइया पट्टी लिंक रोड	0.675	19.060	15.248	8.747	6.501	1.672	0.980	0.692	13.576	7.767	5.809
24	बरेली	बसुधरन मार्ग से तजुआ सम्पर्क मार्ग	1.500	39.025	31.220	20.851	10.369	3.422	2.335	1.087	27.798	18.516	9.282

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जनपद का योग	**3.175**	**83.937**	**67.150**	**43.371**	**23.779**	**7.361**	**4.857**	**2.504**	**59.789**	**38.514**	**21.275**
25	बदायूँ	बदायूँ ऊझानी मार्ग से रजपुरा मार्ग	0.450	18.680	14.944	6.118	8.826	1.638	0.685	0.953	13.306	5.433	7.873
		जनपद का योग	**0.450**	**18.680**	**14.944**	**6.118**	**8.826**	**1.638**	**0.685**	**0.953**	**13.306**	**5.433**	**7.873**
26	पीलीभीत	पीलीभीत जहानाबाद रोड सुन्दरपुर मार्ग से लालपुर गांव सी.सी. रोड तक	0.700	19.862	15.890	9.108	6.782	1.742	1.020	0.722	14.148	8.088	6.060
27	पीलीभीत	न्यूरिया महोफ मार्ग पर 500 मीटर आगे से बिहारीपुर गुरूद्वारा होते हुये राजा कालोनी मार्ग	1.150	24.514	19.611	14.513	5.098	2.150	1.625	0.525	17.461	12.888	4.573
28	पीलीभीत	टिकरी ईटारोड नहर से नरायनपुर गांव तक	0.350	10.371	8.297	5.455	2.842	0.910	0.611	0.299	7.387	4.844	2.543
29	पीलीभीत	पस्तौर कुईया से फिरसा प्रथम भाग	0.500	12.265	9.812	6.953	2.859	1.076	0.779	0.297	8.736	6.174	2.562
		जनपद का योग	**2.700**	**67.012**	**53.610**	**36.029**	**17.581**	**5.878**	**4.035**	**1.843**	**47.732**	**31.994**	**15.738**
30	लखीमपुर खीरी	गोला मोहम्मदी रोड से तुर्कीखेडा	1.050	39.300	31.440	15.864	15.576	3.446	1.777	1.669	27.994	14.087	13.907
31	लखीमपुर खीरी	चौखड़ा सम्पर्क मार्ग	1.100	42.780	34.224	17.313	16.911	3.752	1.939	1.813	30.472	15.374	15.098
32	लखीमपुर खीरी	कान्ती देवी इण्टर कालेज से लखनपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.000	42.000	33.600	17.025	16.575	3.683	1.907	1.776	29.917	15.118	14.799
33	लखीमपुर खीरी	शारदानगर पी.डबलू.डी रोड से पतरासी सम्पर्क मार्ग	0.500	19.914	15.931	8.081	7.850	1.746	0.905	0.841	14.185	7.176	7.009
34	लखीमपुर खीरी	लालपुर क्रयकेन्द्र से मण्डप फार्म तक	1.300	58.501	46.801	23.779	23.022	5.130	2.663	2.467	41.671	21.116	20.555
35	लखीमपुर खीरी	त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा	0.600	24.308	19.446	9.866	9.580	2.132	1.105	1.027	17.314	8.761	8.553
36	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर गोला मार्ग से सकतापुर मार्ग	1.000	38.530	30.824	15.596	15.228	3.379	1.746	1.633	27.445	13.850	13.595
		जनपद का योग	**6.550**	**265.333**	**212.266**	**107.524**	**104.742**	**23.268**	**12.042**	**11.226**	**188.998**	**95.482**	**93.516**
37	गोण्डा	लालापुरवा से सोठिया प्रा. विद्यालय होते हुये उत्तरपुरवा	0.476	18.078	14.462	7.433	7.029	1.585	0.833	0.752	12.877	6.600	6.277

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जनपद का योग	**0.476**	**18.078**	**14.462**	**7.433**	**7.029**	**1.585**	**0.833**	**0.752**	**12.877**	**6.600**	**6.277**
38	बलरामपुर	बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर कठोरा से रतोहा मार्ग	0.800	33.715	26.972	13.313	13.659	2.957	1.491	1.466	24.015	11.822	12.193
39	बलरामपुर	इटियाथोक मार्ग से परसिया गूदर मार्ग	0.627	24.872	19.898	9.837	10.061	2.181	1.102	1.079	17.717	8.735	8.982
		जनपद का योग	**1.427**	**58.587**	**46.870**	**23.150**	**23.720**	**5.138**	**2.593**	**2.545**	**41.732**	**20.557**	**21.175**
40	बहराइच	तकियामोड से रामपुर गोडवा सम्पर्क मार्ग	0.710	35.690	28.552	11.865	16.687	3.130	1.329	1.801	25.422	10.536	14.886
		जनपद का योग	**0.710**	**35.690**	**28.552**	**11.865**	**16.687**	**3.130**	**1.329**	**1.801**	**25.422**	**10.536**	**14.886**
41	बस्ती	अरइल मार्ग से परसवा ग्राम सम्पर्क मार्ग का सुदृढीकरण/मरम्मत कार्य प्र. भाग	0.900	41.420	33.136	16.287	16.849	3.632	1.824	1.808	29.504	14.463	15.041
		जनपद का योग	**0.900**	**41.420**	**33.136**	**16.287**	**16.849**	**3.632**	**1.824**	**1.808**	**29.504**	**14.463**	**15.041**
42	महराजगंज	निचलौल ठूठीबारी मार्ग से पिपरिया मार्ग का सुदृढीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य	1.400	58.710	46.968	23.089	23.879	5.149	2.586	2.563	41.819	20.503	21.316
		जनपद का योग	**1.400**	**58.710**	**46.968**	**23.089**	**23.879**	**5.149**	**2.586**	**2.563**	**41.819**	**20.503**	**21.316**
		महा योग	**38.605**	**1276.362**	**1021.090**	**516.000**	**505.090**	**111.934**	**57.788**	**54.146**	**909.156**	**458.212**	**450.944**

(रूपये पॉच करोड़ पॉच लाख नौ हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>शासनादेश संख्या-04/2020/301(3)/46-1-2020-1000(28)/2018, दिनांक 05 मार्च, 2020 का संलग्नक-2</u>

क्र.	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार			देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि (yk:-)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)
			लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	बरेली	बरेली बदायूँ मार्ग से मकरन्दपुर धाराजीत मार्ग प्रथम भाग	0.370	13.630	10.904	0.000	10.904	1.195	0.000	1.195	9.709	0.000	9.709
		जनपद का योग	**0.370**	**13.630**	**10.904**	**0.000**	**10.904**	**1.195**	**0.000**	**1.195**	**9.709**	**0.000**	**9.709**

(रूपये दस लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।